न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या **168 / 2022** अन्तर्गत धारा **251A RT Act.**

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. मूलाखान पुत्र बच्चूखान 2. सईदाखान पुत्र बच्चूखान जाति तेली मुसलमान निवासी जसे का गांव तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. कस्तुराराम पुत्र सेराराम 2. टीकमाराम पुत्र सेराराम 3. पांचाराम पुत्र सेराराम 4. पार्वती पत्नी सेराराम 5. बाबूराम पुत्र सेराराम 6. भैरसाराम पुत्र सेराराम जाति मेघवाल, निवासी जसे का गांव तहसील शिव, जिला बाड़मेर 7. इन्द्राराम पुत्र मेहराजराम 8. कुम्भाराम पुत्र मेहराजराम 9. गोमतीबाई पत्नी भंवरलाल 10. चम्पालाल पुत्र कस्तुराराम 11. ढलाराम पुत्र कस्तुराराम 12. मगाराम पुत्र केसूराम 13. मोतीलाल पुत्र भवरलाल 14. रूपाराम पुत्र मेहराजराम 15. रेवताराम पुत्र भंवरलाल 16. वदू पत्नी कस्तुराराम जाति सुथार, निवासी जसे का गांव तहसील शिव, जिला बाड़मेर 17. तहसीलदार शिव

उपस्थित :– अधिवक्ता प्रार्थीगण – श्री बालाराम गोदारा।

—:: आदेश ::—

दिनांक : 09.07.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 75, 76 रकबा 1.5783, 0.4128 हैक्टेयर मौजा जसे का गांव, तहसील शिव में आये हुए है, जिसमें प्रार्थीगण का निर्बाध रूप से कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी जोत में आने जाने हेतु उससे लगते विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 77, 79 रकबा क्रमशः 1.2545, 11.1369 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के आवागमन हेतु नवीन रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने के लिए तथा कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर व अन्य साधन लाने व ले जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग लिया जा रहा है। प्रार्थीगण को उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ता आगे सड़क मार्ग से जुड़ने हेतु चाहा गया है। प्रार्थीगण का उक्त प्रस्तावित रास्ता नियमानुसार धारा 251 ए की सम्पूर्ण अर्हताएं पूरी करता है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते हेतु घोषित की जाने वाली भूमि की क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाने हेतु वचनबद्ध हैं। अतः प्रार्थीगण का निवेदन है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार कर नियमानुसार बाद जांच उपरोक्तानुसार अ[illegible] जोत में आने जाने हेतु नया रास्ता का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थीगण का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया [illegible] विप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर पक्षकारा[illegible]लब किया जाकर रिपोर्ट तैयार की गई। मौका रिपोर्ट अनुसा[illegible]वित रास्ते की चौड़ाई 04 [illegible] एवं लम्बाई 62 गट्ठा है तथा रास्ते हेतु विप्रार्थी संख्या 1 से 6 के खसरा नम्बर 77 रकबा 1.2545 हैक्टेयर में से रकबा 0.0502 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 7 से 16 के खसरा नम्बर 79 रकबा 11.1369 हैक्टेयर में से रकबा 0.0502 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। उक्त प्रस्तावित मार्ग के अलावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 12:10:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिव

प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य निकटतम रास्ता/विकल्प नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता निकटतम, लघुतम व सुगम है तथा धारा 251 ए के प्रावधानों को पूरा करता है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन कि तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता धारा 251 ए के आत्यांतिक आवश्यकता, निकटतम एवं अन्य प्रावधानों को पूरा करता है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण को स्वीकार होने से तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता कटाण का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली तथा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर पक्षकारान् को तलब किया जाकर रिपोर्ट तैयार की गई। मौका रिपोर्ट अनुसा प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 04 गट्ठा एवं लम्बाई 62 गट्ठा है तथा रास्ते हेतु विप्रार्थी संख्या 1 से 6 के खसरा नम्बर 77 रकबा 1.2545 हैक्टेयर में से रकबा 0.0502 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 7 से 16 के खसरा नम्बर 79 रकबा 11.1369 हैक्टेयर में से रकबा 0.0502 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। उक्त प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य निकटतम रास्ता/विकल्प नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता निकटतम, लघुतम व सुगम है तथा धारा 251 ए के प्रावधानों को पूरा करता है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई है। चूंकि प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण की आत्यांतिक आवश्यकता होने एवं निकटतम व लघुतम विकल्प होने पर रास्ते हेतु उपयोग में ली जाने वाली भूमि की वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी प्रतिफल राशि प्रार्थीगण द्वारा राजकीय खाता में जमा करवाई जाकर रास्ता कटाण किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता निकालने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 75, 76 रकबा 1.5783, 0.4128 हैक्टेयर मौजा जसे का गांव, तहसील शिव की भूमि में आवागमन हेतु मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार विप्रार्थी संख्या 1 से 6 के खसरा नम्बर 77 रकबा 1.2545 हैक्टेयर में से रकबा 0.0502 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 7 से 16 के खसरा नम्बर 79 रकबा 11.1369 हैक्टेयर में से रकबा 0.0502 हैक्टेयर भूमि का वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा राजकीय खाता में जमा किये जाने के बाद प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में राजकीय भूमि के रूप में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार शिव जमा की गई राशि का प्रमाण पत्र/रसीद अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु खुला रहेगा। तहसीलदार शिव द्वारा मौका फर्द के संलग्न प्रेषित प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव
जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव

आदेश आज दिनांक 09.07.2025 को खुले इजलास सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 12:10:32 IST
Reason: SelfAttested